


उपपंजीयन- श्री श्याम लाल शर्मा पुत्र श्री देवीलाल शर्मा भीलवाडा बनाम राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयन भीलवाडा व अन्य।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी ह
04.03.2015	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>आशा कुमारी – सदस्य</b></p> <p>अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री डी पी ओझा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी श्री श्यामलाल शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प.2(6)वित्त/कर/2014 -143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विद्वज्ञा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्वज्ञा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निगरानी विद्वज्ञा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 353/2013 जरिये विद्वज्ञा खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (आशा कुमारी) सदस्य</p>	